राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–42 / 2023
सुधीरा देवी बनाम् अख्तर शहंशाह।

यह वाद श्रीमती सुधीरा देवी, पति–श्री अमरेश चौपाल, मुहल्ला–अफजला टोला–खेवा, वार्ड संख्या–05, नगर पंचायत बिरौल, थाना–बिरौल, जिला–दरभंगा द्वारा श्री अख्तर शहंशाह, पिता–मो0 मासूक, पता–जालीमार रोड, अफजला, थाना–बिरौल, जिला–दरभंगा (वर्तमान उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिरौल, जिला–दरभंगा) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) के तहत वाद लाया गया है। वादी का दावा है कि प्रतिवादी ग्राम पंचायत डुमरी, प्रखण्ड–बिरौल, जिला–दरभंगा के निवासी है। उनके द्वारा जालसाजी कर बिहार नगरपालिका के निर्वाचक नामावली के प्रावधान के विपरीत 180 दिन सामान्य प्रवास किये बिना नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची में अवैध प्रविष्टि पाकर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया। मतदाता–सूची में अवैध प्रविष्टि को प्रविष्टि के तिथि से अविधिमान्य घोषित करने एवं तदनुसार उद्भूत निरहर्ता के कारण उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिरौल, जिला–दरभंगा के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती सुधीरा देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द यादव, गजेन्द्र प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ सिंह द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री अख्तर शहशाह की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार झा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री सुरेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी का पक्ष रखते हुये, आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी अख्तर शहंशाह वर्तमान में नगर पंचायत, बिरौल के उप मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचित है, जबकि उनके द्वारा वर्ष–2021 में ग्राम पंचायत डुमरी के मुखिया पद हेतु निर्वाचन में भाग लिया गया था तथा वे मुखिया के निर्वाचन में विजय प्राप्त नहीं कर सकें। उनके द्वारा आयोग के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने हेतु 79–गौरा बौराम विधान सभा क्षेत्र के मतदाता–सूची से नाम को विलोपित कराते हुये 78–कुशेश्वर स्थान विधान क्षेत्र के मतदाता–सूची में नाम अंकित करा लिया गया ताकि नगर पंचायत, बिरौल के मतदाता–सूची में स्वतः उनका नाम दर्ज हो जाये, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति का नाम मतदाता–सूची में तभी जोड़ा जा सकता है, जबकि वह कम–से–कम 180 दिन पूर्व से उस नगरपालिका क्षेत्र में निवास करता हो।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा मुखिया का चुनाव हारने के उपरांत धूर्तता से 79—गौरा बौराम विधान सभा क्षेत्र से अपना नाम हटाने हेतु दिनांक—19.07.2022 को आवेदन दिया गया, जो कि Form-7 के रूप में था। उनके आवेदन पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कार्रवाई करते हुये, दिनांक—27.07.2022 को नाम विलोपन को स्वीकार कर लिया गया।

आगे उनके द्वारा अपना नाम 78—कुशेश्वर स्थान विधान क्षेत्र में दर्ज करने हेतु दिनांक—15.11.2022 को आवेदन दिया गया, जिसे दिनांक—27.01.2023 को स्वीकार करते हुये, उनका नाम 78—कुशेश्वर स्थान विधान सभा क्षेत्र में दर्ज कर लिया गया। उनके द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में अपना नाम दर्ज करने हेतु जिस विद्युत विपत्र का प्रयोग किया गया, वह ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्वीकृत मीटर के लिये था। इनका किरायानामा दिनांक—31.12.2021 से नगर पंचायत बिरौल हेतु तैयार किया गया है, परन्तु जाँच में Notary Public द्वारा बताया गया है कि उनकी पंजी नष्ट हो गयी है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त सारे अभिलेख मिली—भगत एवं गलत नियत से तैयार किये गये है, ताकि प्रतिवादी का नाम नगर पंचायत के मतदाता—सूची में नाम किसी प्रकार दर्ज किया जा सकें।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक—15.11.2022 को नाम जोड़ने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे दिनांक—27.01.2023 को स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मात्र 03 माह 25 दिन के उपरांत उनका नाम मतदाता—सूची में जोड़ दिया गया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक—1590, दिनांक—28.04.2022 के अनुसार मतदाता—सूची में नाम जोड़ने के लिए कम—से—कम 06 माह का निवास अनिवार्य है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इस प्रकार उन्होनें मतदाता—सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का गलत लाभ प्राप्त किया तथा अवैध ढंग से अपने नाम को पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से हटाते हुये, नगर पंचायत क्षेत्र में दर्ज कराने में सफल रहे। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अवैध रूप से निर्वाचक नमावली—सूची में नाम दर्ज कर उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया, जिसके कारण उनका निर्वाचन वैध नहीं है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम, जो 180 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता हो, मतदाता—सूची में जोड़ा जा सकता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि यह सही है कि उनके मुवक्किल द्वारा पंचायत आम निर्वाचन—2021 में भाग लिया गया था, जिसमें वह ग्राम पंचायत डुमरी के मुखिया पद के प्रत्याशी थे, परन्तु उनके द्वारा प्रादिशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या—08 के मतदाता—सूची— क्रमांक—93 पर अंकित तिथि अपने नाम को विलोपित करने का आवेदन दिनांक—15.07.2022 को संबंधित पदाधिकारी को दिया गया था, जिसे दिनांक—27.07.2022 को स्वीकार करते हुये, उनका नाम विलोपित कर दिया गया था। आगे उनके द्वारा दावा किया गया कि वह काफी पुराने समय से ही

नगर पंचायत बिरौल में निवास करते थे, जिसका साक्ष्य उनके द्वारा अपने पुरक शपथ–पत्र में दिया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अपने निवास के साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा Notary Public से निर्गत कराया गया, Rent Agreement आयोग को दिखाया गया। Agreement की तिथि–28.11.2023 अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पंचायत क्षेत्र से नाम कटाने से 180 दिन बाद ही नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। अतः मतदाता–सूची में उनका नाम नियमों का पालन करते हुये, दर्ज कराया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अपने साक्ष्य के रूप में जो बिजली बिल उनके द्वारा दिया गया है, वह कृषि कार्य के लिए लिया गया था, क्योंकि वह क्षेत्र पूर्व में पंचायत का क्षेत्र था एवं नगर पंचायत बिरौल के निर्माण के पश्चात् वह क्षेत्र शहरी क्षेत्र में बदल गया।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा सत्यापन–सह–जॉंच प्रतिवेदन पत्रांक–3167/जि0निर्वा0, दिनांक–14.10.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गये, प्रतिवेदन को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा जॉंच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

विचाराधीन मामले की जॉंच करने तथा अभिलेखों की सत्यापन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा त्रिसदस्यीय जॉंचदल जिसमें, अपर समाहर्त्ता विभागीय जॉंच, दरभंगा, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा एवं अपर समाहर्त्ता लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा, शामिल थे, का गठन किया गया। उक्त जॉंचदल के प्रतिवेदन को अनुमोदनोंपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका प्रमुख अंश निम्नवत् हैः–

<u>बिन्दुवार जॉंच विवरणी :–</u>

क्र0सं0	वर्णित बिन्दु जिसपर प्रतिवेदन वांछित है	जॉंच में पाये गये, तथ्य
01.	सरकार द्वारा निर्गत संकल्प या दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर नगर पंचायत बिरौल की निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के संबंध में ?	अनुमण्डल कार्यालय, बिरौल में संधारित संचिका IX-1/2023-24 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी श्री अख्तर शहंशाह का नाम पूर्व में 79–गोड़ाबौड़ाम वि0स0नि0क्षे0 के भाग संख्या–76 के क्रमांक–150 पर दर्ज था, जिसे विलोपित करने हेतु प्रतिवादी द्वारा दिनांक–19.07.2022 को Form-7 दाखिल किया गया। विलोपन हेतु समर्पित उक्त आवेदन को दिनांक–27.07.2022 को स्वीकृत किया गया है। पुनः नवम्बर, 2022 में प्रतिवादी, अख्तर शहंशाह द्वारा नाम जोड़ने हेतु दिनांक–15.11.2022 को ऑन–लाईन भरे गये प्रपत्र–6 का बी0एल0ओ0, मो0 माईन अंसारी के जॉंच के आलोक में तत्कालीन निर्वाचक निबंधन प्रदाधिकारी, 78 कुशेश्वरस्थान वि0स0नि0क्षे0 द्वारा नाम जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस आलोक में अख्तर शहंशाह के जा नाम 78– कुशेश्वरस्थान, वि0स0नि0क्षे के भाग संख्या–37 मदरसा रहमानिया अफजला, सुपौल (पश्चिम मध्य भाग) के मतदाता क्रमांक–1040 पर दर्ज हुआ। मतदाता पहचान पत्र संख्या–SJI2480143 है, जिसका वर्तमान क्रमांक–852 है, जो नगर पंचायत बिरौल के आम निर्वाचन–2023 के मतदाता–सूची

		के विखंडिकरण में प्रा0नि0क्षे0, संख्या–3 के क्रमांक–1149 पर दर्ज हुआ। प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा–19 नाम जोड़ने हेतु रजिस्ट्रीकरण की शर्तें के अनुसार– "(क) आवेदक का उम्र 18 वर्ष और (ख) जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये हकदार होगा।" उक्त अधिनियम की धारा–20 में मामूली तौर पर निवासी का अर्थ स्पष्ट करते हुये, उल्लेख किया गया है कि "(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण की वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कबजा रखता है। यह न समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मालूली तौर से निवासी है।" साथ ही "1(क) अपने मामूली निवास स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा, कि वह वहाँ का मालूमी तौर से निवासी नहीं रह गया है।" भारत निर्वाचन आयोग के नये मतदाताओं के लिये आवेदन प्रपत्र–6 में नाम जोड़ने हेतु निवास के सबूत के रूप में सात प्रमुख दस्तावेजों में किसी एक को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निदेश है, जिसमें से पाँच दस्तावेज–1. आधार कार्ड, 2. राजस्व विभाग का भूमि का केवाला एवं लगान रसीद, 3. बिजली का बिल 4. किरायानाभा एवं 5. आवास प्रमाण–पत्र को प्रतिवादी अख्तर शहंशाह के द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक–न0नि0–50–14/2022–2594, दिनांक–06.07.2022 कंडिका–ग में उल्लेख किया गया है कि "किसी व्यक्ति/आवेदक का नाम संबंधित वार्ड (प्रा0नि0क्षे0) की निर्वाचक सूची में तभी जोड़ा जा सकेगा, यदि दावाकर्त्ता/आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम–से–कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड (प्रा0नि0क्षे0) में निवास करता हो" – अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–1350/गो0, दिनांक–26.07.2023 के अनुसार प्रतिवादी अख्तर शहंशाह का नाम नगर पंचायत बिरौल के आम निर्वाचन–2023 में मतदाता–सूची के विखंडीकरण में विखण्डीत कर नगर पंचायत बिरौल के प्रा0 नि0 क्षे0 संख्या–03 के क्रमांक–1149 पर दर्ज हुआ है।
02.	प्रतिवादी अख्तर शहंशाह को जारी किये गये, निवास प्रमाण–पत्र सरकार द्वारा निर्गत संकल्प या दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर निर्गत करने के संबंध में ?	वर्णित बिन्दु के संबंध में जाँच के क्रम में अंचलाधिकारी, बिरौल के द्वारा बताया गया कि निर्गत निवास प्रमाण–पत्र संख्या–BRCCO/2022/12149114,दिनांक–04.11.2022 प्रतिवादी का आधार कार्ड संख्या–3451 2606 1359 के आधार पर निर्गत किया गया है। आवास प्रमाण–पत्र लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन–लाईन प्रक्रिया के तहत निर्गत किया जाता है, जिसके लिये वांछित दस्तावेजों में 12 प्रमाण–पत्रों में से कोई एक प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन करने का निदेश है, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। अंचलाधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवास प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। निर्गत आवास प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अख्तर शहंशाह को नगर पंचायत बिरौल के वार्ड संख्या–05 का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र दिया गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि किरायानाभा के अनुसार उक्त किराये के आवास में प्रतिवादी अख्तर शहंशाह दिनांक–31.12.2021 से निवास कर रहे है तथा इनका स्थायी पैतृक आवास पंचायत डुमरी ग्राम बलिया में स्थिति है, जहाँ इनका पैतृक मकान अख्तर शहंशाह के पिता–मो0 मीर आशिक के नाम पर 18.35 डि0 जिसका जमाबंदी संख्या–15/278 है।

		ऐसी स्थिति में नगर पंचायत बिरौल के वार्ड संख्या–05 में प्रतिवादी अख्तर शहंशाह को अस्थायी प्रमाण–पत्र ही निर्गत किया जाना चाहिए था।

निष्कर्षः– उपरोक्त तथ्यों, विभागीय प्रावधान, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा–19, 20, 23, 31 के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होता है:–

i. प्रतिवादी अख्तर शहंशाह द्वारा बिरौल नगर पंचायत के 78– कुशेश्वरस्थान वि0स0प्रा0क्षे0 के भाग संख्या–37 मदरसा रहमानिया में नाम जोड़ने हेतु दिये गये कागजातों में आधार कार्ड, प्रतिवादी के मूल आवास स्थल पंचायत डुमरी मौजा बलिया के पते पर दर्ज था, जिसे बाद में अफजला बिरौल के पते पर संशोधित किया गया।

ii. राजस्व भू–लगान रसीद के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अख्तर शहंशाह के नाम से मौजा–अफजला में उसकी पत्नी सैयदा जैदव के नाम से लगान रसीद है, जिसकी जमाबंदी संख्या–5956, वर्ष–2011–12 से कायम है। मौजा–बलिया में भी अख्तर शहंशाह के नाम से वाद संख्या–4004/2022–23 से जमाबंदी कायम है तथा मौजा बलिया में ही इनकी पैतृक संपति पिता–मीर मासूक, वल्द मीर आशिक के नाम से पैतृक खतियान एवं जमाबंदी संख्या–15/278, खाता संख्या–201, खेसरा संख्या–10, रकवा–18.35 डि0 दर्ज है तथा लगान अद्यतन है। मौजा–बलिया के लगान रसीद प्रतिवादी के स्थायी पता को स्पष्ट करता है, जहाँ उसका पैतृक निवास अभी भी है, जबकि मौजा अफजला की भूमि पर प्रतिवादी निवास नहीं करते हैं। अतः इसे नाम जोड़ने हेतु राजस्व विभाग का वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।

iii. प्रतिवादी अख्तर शहंशाह का बिजली का बिल/मीटर वर्ष–31.01.2019 से अफजला पंचायत से ग्रामीण क्षेत्र के कृषि कार्य हेतु लिया गया था, जिसे अफजला के अस्थायी पते पर स्थानांतरित किया गया है।

iv. प्रतिवादी अख्तर शहंशाह द्वारा प्रस्तुत किरायानामा का नोटरी पंजी लेख्य प्रमाणक प्रभारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बरसात के पानी में उक्त पंजी नष्ट हो गया है। इस किरायानाम पर लेख्य प्रमाण का हस्ताक्षर में तिथि दिनांक–31.12.2022 प्रतीत हो रहा है, जिसे संशोधित कर दिनांक–31.12. 2021 किया गया है। इस प्रकार इस किरायानामा की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होता है।

v. प्रतिवादी के आवास प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अख्तर शहंशाह के नगर पंचायत बिरौल के वार्ड संख्या–5 का स्थायी प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, जबकि किरायानामा के अनुसार उक्त किराये के आवास में प्रतिवादी अख्तर

शहंशाह दिनांक–31.12.2021 से निवास कर रहे है एवं इनका स्थायी पैतृक आवास पंचायत डुमरी, ग्राम–बलिया में स्थित है, जहाँ इनका पैतृक मकान पिता–मीर मासूक के नाम पर खतियान एवं जमाबंदी संख्या–15/278, खाता संख्या–201, खेसरा संख्या–10, रकबा–18.35 डि0 दर्ज है। ऐसी स्थिति में नगर पंचायत बिरौल के वार्ड संख्या–5 में प्रतिवादी अख्तर शहंशाह को स्थायी प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

मंतव्यः– उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अख्तर शहंशाह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नाम रजिस्ट्रीकरण एवं विलोपन के प्रावधानों का गलत नीयत से फायदा उठाने के लिये ग्राम पंचायत डुमरी से वर्ष–2021 में मुखिया पद का चुनाव के निर्वाचन में भाग लेने के बाद सफल नहीं होने पर योजनाबद्ध तरीके के नाम विलोपन कराते हुये नगर पंचायत बिरौल में नगरपालिका निर्वाचन–2023 के चुनाव में भाग लेने हेतु नाम जोड़ने की कार्रवाई की गई, जो स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा–31– "Making false declaration- If any person makes in connection with-(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or (b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both." के प्रावधान एवं नियमों का उल्लंघन करते हुये गलत नीयत से फायदा उठाया गया प्रतीत होता है।''

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि प्रतिवादी श्री अख्तर शहंशाह (वर्तमान उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिरौल, दरभंगा) द्वारा मुखिया पद के निर्वाचन में असफल होने के उपरांत नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता–सूची में प्रविष्टि हेतु 180 दिन सामान्य आवास के प्रावधान से बचने के लिये कपट का सहारा लिया गया तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के प्रावधानों के विपरीत स्थानीय पदाधिकारियों के मिली–भगत से बिरौल नगर पंचायत क्षेत्र में सामान्यतया निवास किये बिना अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करा लिया, ताकि उनका नाम नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची के Mother Roll में शामिल हो जाये तथा वह 180 दिन सामान्य

आवास के प्रावधान से बच जाये, ताकि वह नगर पंचायत बिरौल में उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी बन सकें, जबकि श्री अख्तर शहंशाह तत्समय ग्राम पंचायत डुमरी, प्रखण्ड–बिरौल, जिला–दरभंगा के निवासी थे। इस प्रकार प्रतिवादी का मतदाता–सूची में प्रविष्टि अविधिमान्य रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) के प्रावधानों के अधीन वांछित अहर्त्ता नहीं रहने के कारण, पदमुक्त किये जाने योग्य है।''

आयोग द्वारा यह पाया गया कि वादी का दावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा के सत्यापन प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। प्रतिवादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते है कि उनके द्वारा बिरौल प्रखण्ड के डुमरी ग्राम पंचायत के मुखिया पद के निर्वाचन में भाग लिया गया था, जिसमें वे विजय नहीं हो सके थे। उनके द्वारा मुखिया पद के लिये दिनांक–21.10.2021 को नामांकन दायर किया गया था। उक्त पंचायत के लिये मतगणना दिनांक–26.11.2021 को की गयी।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के पत्रांक–2594, दिनांक–06.07.2022 से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी है, जिसकी कंडिका–ग में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि निर्वाचक सूची में नाम तभी जोड़ा जा सकता है, जब आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम से कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड(प्रा0 नि0 क्षे0) निवास करता हो।

प्रतिवादी का नाम इस प्रावधान के तहत नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची में शामिल होना संभव नहीं था, क्योंकि वह नगर पंचायत बिरौल के सामान्य निवासी नहीं है, बल्कि वह उसी पंचायत के सामान्य निवासी है, जहाँ से उन्होनें मुखिया के चुनाव में भाग लिया था।

आयोग के प्रावधानों को कपट पूर्वक निष्प्रभावी करने हेतु उनके द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के प्रावधानों का दुरूपयोग कर एवं स्थानीय B.L.O. तथा स्वीकृत करने वाले निर्वाचन पदाधिकारी के मिली–भगत से अपना नाम 79 गौड़ाबौड़ाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हटाकर 78 कुशेश्वरस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जुड़वा लिया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि आयोग का पत्र दिनांक–06.07.2022 को निर्गत होने के उपरांत प्रतिवादी यह समझ गये कि उनका नाम सीधे नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची में 180 दिन आवास नहीं करने के कारण नहीं जोड़ा जा सकता। अतः उनके द्वारा दिनांक–19.07.2022 को अपना नाम गौड़ाबौड़ाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हटाने हेतु दिया गया, जिसे दिनांक–27.07.2022 को स्वीकृत कर लिया गया। आगे उनके द्वारा दिनांक–15.11. 2022 को अपना नाम 78 कुशेश्वरस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ने हेतु दिया गया, जिसे B.L.O. मो0 मोईन अंसारी एवं तत्कालीन निर्वाचक निबंधक

पदाधिकारी, 78 कुशेश्वरस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मिली--भगत से बिना किसी जाँच पड़ताल के जोड़ दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिवादी मो0 अख्तर शहंशाह का नाम बिरौल के मतदाता–सूची के Mother Roll में स्वतः आ गया तथा वह आयोग के 180 दिन सामान्य निवास के प्रावधानों को जालजासी पूर्वक बाईपास करने में सफल रहे।

आयोग के समक्ष यह सुनवाई हेतु इस प्रकार का प्रथम मामला है, जिसके उजागर होने से आयोग के संज्ञान में यह आया है कि कपटी व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार वैधानिक प्रावधानों को Bypass करने हेतु दो भिन्न–भिन्न अधिनियमों के संगम बिन्दु का उपयोग अपने फायदे में किया जा सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट करना है कि आयोग स्वस्थ में स्वच्छ लोकतंत्र हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी निर्वाचक/अभ्यर्थी के रूप में सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है, परन्तु आयोग का यह भी दायित्व है कि मतदाताओं के समक्ष चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थियों का विकल्प हो जो स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिये प्रयत्नशील हो। ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत एवं निजी फायदे के लिये स्थापित नियमों एवं विधियों का दुरूपयोग करता हो, अथवा उसे भंग करता हो, अथवा उसे अपने फायदे में विकृत करता हो, निश्चित रूप से उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

तथ्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी मो0 अख्तर शहंशाह का नगर पंचायत बिरौल के आम निर्वाचन–2023 के मतदाता–सूची में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या--03 के क्रमांक–1149 पर दर्ज नाम विधिमान्य नहीं है, क्योंकि मतदाता–सूची में नाम जोड़ने हेतु उनके द्वारा कपट(Fraud) का सहारा लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेकों न्याय–निर्णयों में यह स्थापित किया गया है कि "Fraud Vitiates Everything".

अपने कपट को छुपाने के लिये प्रतिवादी द्वारा जो भी साक्ष्य दिये गये है, वे स्वीकार योग्य नहीं है, उनके द्वारा दिया गया किरायानामा Registered नहीं है। अतः इसका साक्ष्य अधिनियम में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शपथ–पत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। दिया गया किरायानामा Notary Public से दिया गया है, जो कि मूल अभिलेखों से सत्यापित नहीं है। इस मामले में Notary Public भी षड़यंत्र का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके द्वारा पंजी के नष्ट होने का बहाना बनाया गया है, बिना मूल पंजी के किरायानामा को सत्यापित कर दिया गया है। आगे उनके द्वारा दिया गया विद्युत परिपत्र उनके खेत में पटवन के उद्देश्य से कृषि कार्य हेतु निर्गत कराया गया है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान--पत्र में अंकित पता आवासीय प्रमाण--पत्र के आधार पर बदलवाया गया है, जबकि आवासीय प्रमाण

ही नियमानुसार वैध नहीं है। जिला पदाधिकारी के जाँच से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी को जब आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत हुआ है, तो उस समय उन्हें ''अस्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत होना चाहिये था, न कि स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र।''

जिला के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि उनके पत्नी सयदा जैदव के नाम से मौजा अफजला में जो भूमि है, उसपर कोई मकान निर्मित नहीं है तथा प्रतिवादी का परिवार वर्तमान समय में भी इस पर निवास नहीं करता है।

उक्त सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी बिरौल नगर पंचायत के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते समय ग्राम पंचायत डुमरी, प्रखण्ड–बिरौल, जिला–दरभंगा के ही निवासी थे तथा केवल निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से उनके द्वारा कपट का सहारा लिया गया। इस प्रकार कपट पूर्वक मतदाता–सूची में उनकी प्रविष्टि विधिमान्य नहीं है।

आयोग के समक्ष जब यह वाद आया, तो यह यक्ष प्रश्न आया कि क्या आयोग ऐसे वादों की सुनवाई कर सकता है तथा क्या आयोग निर्वाचन के उपरांत मतदाता–सूची के शुद्धता अथवा किसी मतदाता के उसमें विधिमान्य प्रविष्टि के होने अथवा न होने के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

प्रथम प्रश्न का उत्तर रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ के द्वारा दिये गये, न्याय–निर्णय में समाहित है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि योग्यता का नहीं होना, अयोग्यता के बराबर है। इस प्रकार आयोग बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–475 एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के धारा–135 से आच्छादित मामलों के सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार है।

आयोग द्वारा द्वितीय प्रश्न पर विचार किया गया, तो पाया गया कि संविधान के अनुच्छेद–243ZA(1) के तहत नगरपालिका क्षेत्रों में निर्वाचन कराने हेतु मतदाता–सूची तैयार करने के लिये Superintendence, direction and control की शक्ति प्रदान की गयी है। अनुच्छेद–243ZA(1) के प्रावधान निम्नवत् हैः–

"(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to in article 243K."

उक्त संवैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्राथमिक दायित्व शुद्ध एवं विधिमान्य मतदाता–सूची का निर्माण करना है। इसके तहत आयोग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों की मदद से जो मतदाता–सूची तैयार कराता है, उसकी शुद्धता एवं विधिमान्य प्रविष्टियों के निर्धारण हेतु आयोग ही अंतिम प्राधिकार है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों में अंतिम प्रयुक्त शब्द ''नियंत्रण'' है, अर्थात् मतदाता–सूची पर अंतिम नियंत्रण आयोग में निहित है।

अतः जबकि नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची में अविधिमान्य प्रविष्टि का प्रश्न विचारण हेतु आयोग के समक्ष आया है, तो उक्त संवैधानिक प्रावधानों के कारण निश्चय ही आयोग इस पर विचार करने हेतु सक्षम प्राधिकार है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि प्रतिवादी मो0 अख्तर शहंशाह का दिनांक–03.05.2023 को प्रकाशित नगर पंचायत बिरौल के मतदाता–सूची प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–03 के क्रमांक–1149 पर दर्ज नाम विधिमान्य नहीं है। अतएव संविधान के अनुच्छेद–243ZA(1)–सह–पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–2(90) के तहत दिनांक–03.05.2023. को प्रकाशित प्रतिवादी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–03 के क्रमांक–1149 पर दर्ज नाम के विधिमान्य नहीं रहने के कारण प्रकाशन की तिथि से विलोपित किया जाता है।

उक्त आदेश के फलस्वरूप प्रतिवादी द्वारा संवीक्षा के तिथि को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–475 में वर्णित अर्हत्ता से वंचित हो गये है। अतएव प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) से प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से निरर्हित करते हुये, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत बिरौल के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत बिरौल का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी दरभंगा के स्तर से मो0 अख्तर शहंशाह के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना अपेक्षित है। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) यह प्रमाणित हो चुका है कि मो0 अख्तर शहंशाह के नाम को 79 गौड़ाबौड़ाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हटाकर 78 कुशेश्वरस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज करने में B.L.O. मो0 मोईन अंसारी एवं तत्कालीन निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, 78 कुशेश्वरस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मिली–भगत है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा उक्त दोनों (पदाधिकरी/कर्मी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रपत्र–''क'' को

गठित कर साक्ष्यों सहित उनके अनुशासनिक प्राधिकार/पैतृक विभाग को प्रेषित करते हुये, इसकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–	ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)	(डॉ0 दीपक प्रसाद)
25.06.2025	**25.06.2025**
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–42/2023 पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–42/2023 2881 पटना, दिनांक–25.6.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **दरभंगा**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **दरभंगा** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **दरभंगा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

25/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी